झारखण्ड सरकार

नगर विकास एवं आवास विभाग

अधिसूचना

संख्या– 01/विविध (योजना)–74/2017 न0वि0आ0......7810 राँची,दि0–...20/12/17

नगर विकास एवं आवास विभाग के अधीन स्थापित विभिन्न शहरी स्थानीय निकायों में विभिन्न कारणों, यथा–भूमि की अनुपलब्धता, स्थल विवाद, अतिक्रमण, SOR में परिवर्त्तन, आदि के कारण कतिपय योजनाएं निर्धारित समय पर पूरी नहीं हो पाती है।

2. झारखण्ड लोक निर्माण संहिता, 2012 के Clause – XVI (ii) में विभिन्न कारणों से निर्धारित समयावधि में योजनाएं पूर्ण नहीं होने की स्थिति में योजनाओं के लिए समयावधि विस्तार (Extension of Time) दिये जाने हेतु निम्न वर्णित प्रावधान हैं :–

(i)	मुख्य अभियंता	–	25% तक समयावधि विस्तार,
(ii)	अभियंता प्रमुख	–	25% से ऊपर एवं 50% तक समयावधि विस्तार,
(iii)	विभागीय सचिव/प्रधान सचिव की अध्यक्षता में गठित समिति	–	50% से ज्यादा समयावधि विस्तार।

3. नगर विकास एवं आवास विभाग, झारखण्ड, राँची अन्तर्गत अभियंता प्रमुख का पद नहीं रहने के कारण वैसी योजनाएं जिसमें 25% से ज्यादा समयावधि विस्तार (Extension of time) प्रदान करने की आवश्यकता हो, के निस्तारण में कठिनाई हो रही है।

4. उक्त को दृष्टिपथ रखते हुए Jharkhand Public Works Department Code, 2012 की धारा– XVI (ii) के आलोक में योजनाओं का 25% से अधिक अवधि के लिए समायावधि विस्तार प्रदान करने हेतु प्रधान सचिव/सचिव, नगर विकास एवं आवास विभाग, झारखण्ड, राँची की अध्यक्षता में निम्नरूपेण समिति का गठन किया जाता है :–

(क)	अपर मुख्य सचिव/प्रधान सचिव/सचिव, नगर विकास एवं आवास विभाग	–	अध्यक्ष,
(ख)	निदेशक, नगरीय प्रशासन निदेशालय	–	सदस्य,
(ग)	आन्तरिक वित्तीय सलाहकार, नगर विकास एवं आवास विभाग	–	सदस्य,
(घ)	मुख्य अभियंता, तकनीकी कोषांग	–	सदस्य।

5. उपर्युक्त समिति के द्वारा प्रस्ताव प्राप्ति के 15 दिनों के भीतर समयावधि विस्तार हेतु समुचित निर्णय लिया जायेगा।

6. प्रस्ताव पर विभागीय मंत्री का अनुमोदन प्राप्त है।

झारखण्ड राज्यपाल के आदेश से,

(अरूण कुमार सिंह)
सरकार के प्रधान सचिव।

ज्ञापांक– 01/विविध (योजना)–74/2017 न0वि0आ0...7810... राँची,दि0–...20/12/17

प्रतिलिपिः–अधीक्षक, राजकीय मुद्रणालय, डोरण्डा, राँची को सूचना एवं राजकीय गजट के आगामी अंक में प्रकाशनार्थ प्रेषित/नोडल पदाधिकारी, ई–गजट, नगर विकास एवं आवास विभाग को सूचना एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

सरकार के प्रधान सचिव।

ज्ञापांक– 01/विविध (योजना)–74/2017 न0वि0आ0...7810... राँची,दि0–...20/12/17

प्रतिलिपिः–अपर मुख्य सचिव/प्रधान सचिव/सचिव, सभी विभाग, झारखण्ड/सभी प्रमंडलीय आयुक्त/उपायुक्त/निदेशक, नगरीय प्रशासन निदेशालय/राज्य शहरी विकास अभिकरण/नगर निवेशक, नगर निवेशन संगठन/उप सचिव–सह–आन्तरिक वित्तीय सलाहकार/मुख्य अभियंता, तकनीकी कोषांग, नगर विकास एवं आवास विभाग, झारखण्ड, राँची/महाप्रबंधक, जुडको लिमिटेड, राँची को सूचना एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

सरकार के प्रधान सचिव।